संख्या-75/2018/2681 ई-2/तेरह-2018-52/2005

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 14 अगस्त,2018

विषय:-मेसर्स कपिला कृषि उद्योग लि0, तातियागंज, मन्धना जी0टी0 रोड, कानपुर नगर, मे0 कानपुर इडीबल्स प्रा0लि0, कैटिल फीड, रनिया, कानपुर देहात तथा मे0 कपिला कृषि उद्योग लि0, खलीलाबाद, संतकबीरनगर की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-88/दस-140सी(238)/वा0शी0उ0/2017-18, दिनांक 30 जुलाई,2018, पत्र संख्या-जी-87/दस-140सी()/वा0शी0उ0/2018-19, दिनांक 26 जुलाई, 2018 तथा पत्र संख्या-जी-86/दस-140सी(238)/वा0शी0उ0/2017-18, दिनांक 26 जुलाई,2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में की गई संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त (1) मेसर्स कपिला कृषि उद्योग लि0, तातियागंज, मन्धना, जी0टी0 रोड, कानपुर नगर की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 3,00,000 कुण्टल से बढाकर 4,04,400 कुण्टल (चार लाख चार हजार चार सौ कुण्टल) (2) मेसर्स कानपुर इडीबल्स प्रा0लि0 कैटिल फीड रनिया कानपुर देहात की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 1,20,000 कुण्टल (एक लाख बीस हजार कुण्टल) तथा (3) मेसर्स कपिला कृषि उद्योग लि0, भूखण्ड संख्या-डी-34-38, औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीनगर की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 1,72,000 कुण्टल (एक लाख बहत्तर हजार कुण्टल) निर्धारित किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in